10/2/20 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता उभय पक्ष उपस्थित। बहस अन्तर्गत प्रार्थना पत्र 07 R 11 CPC सुनी जा चुकी है। अधिवक्ता प्रार्थी / प्रतिवादी ने बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किए कि मा. सिविल न्यायालय में यह निर्णय हो चुका है कि वादिया जोकि नाबालिग है, अपने पिता प्रतिवादी स.1 के पास रहेगी। अत: वादिया की ओर से मंजू देवी को वाद लाने की Law standi नहीं है। वादिया की ओर से संस्थित वाद में सेशन न्यायालय में हुए फैसले के तथ्य को छुपाकर दावा पेश किया गया है अत: वाद विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारिज है। अधिवक्ता प्रार्थी प्रतिवादी ने न्यायदृष्टांत 2018 (2) CJ (Civ) (Raj) पेज 1107 प्रस्तुत कर दावा खारिज करने के कथन किए

जवाब बहस में अधिवक्ता अप्रार्थी/वादिया ने कथन किए कि प्रतिवादीगण द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपा[illegible] दण्डनायक
(फास्ट [illegible]) श्रीगंगानगर

किया गया है। दावा पैतृक संपति के बटवारे एवं घोषणा का है। शेष बाते जरिए साक्ष्य गुणावगुण पर तय होती है। जहां तक Locus standi का प्रश्न है तो निकटवर्ती मित्र की हैसियत से मंजूदेवी ने वाद पेश किया है। नाबालिग के हितों का संरक्षण कोई भी कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज फरमावे।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं सम्माननीय न्यायालयों के न्यायदृष्टांतों का अध्ययन किया गया। आदेश 7 नियम 11 CPC के प्रार्थना पत्र के निर्णयन हेतु O7R11 CPC में वर्णित विभिन्न बिंदुओं यथा- वाद हेतुक, उचित कोर्ट फीस, दो प्रतियों में वादपत्र, विधि द्वारा वर्जित में से प्रार्थी/प्रतिवादी ने केवल Locus standi के आधार पर वाद को barred by law बताया है। अतः निर्णय में केवल इसी बिंदु पर विवेचन करना है कि आया वाद विधि द्वारा वर्जित होने के कारण काबिले खारिज है अथवा नहीं?

पत्रावली पर उपलब्ध प्रतिलिपि निर्णय दिनांक 4/12/19 मा. अपर जिला न्यायधीश, रायसिंहनगर श्रीगंगानगर के अवलोकन से यह स्पष्टतया प्रकट होता है कि याचिका अंतर्गत 13(B) हिंदू विवाह अधिनियम द्वारा मंजू देवी के निर्णय में माननीय न्यायालय द्वारा नाबालिग नव्या (इस वाद में वादिया) का संरक्षण प्रतिवादी प्रवीण कुमार को दिया था। पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और न ही अधिवक्ता अप्रार्थीया/वादिया ने अपनी बहस में ऐसे कोई कथन किए जिससे उक्त निर्णय दिनांक 4/12/19 को कहीं चुनौती देना बताया हो। प्रस्तुत वाद मंजूदेवी ने नाबालिग नव्या के निकटवर्ती मित्र ~~होने~~ गार्जियन होने की हैसियत से प्रस्तुत किया है। जब माननीय न्यायालय के निर्णय दिनांक 4/12/19 द्वारा प्रतिवादी प्रवीण कुमार (पिता) को ~~[illegible]~~ नाबालिग का संरक्षण दिया है एवं नाबालिग के हितों के संरक्षण हेतु उत्तरदायित्व सौंपा है। इस स्थिति में मंजू देवी को नाबालिग नव्या की ओर से वाद प्रस्तुत करने की Locus standi नहीं है। अतः वाद विधि द्वारा वर्जित होने से

सहायक कलक्टर एवं
कार्यपालक दण्डनायक

Scanned by CamScanner

आगे नहीं चलाया जा सकता। नाबालिग के हितों की सरंक्षा एवं पैतृक संपति में उसके हक हिस्से का संरक्षण पिता प्रवीण कुमार द्वारा किया जाता है। वाद संस्थित करते समय वादपत्र के अभिकथनों में माननीय सैशन न्यायालय में हुए निर्णय के तथ्यों को छुपाकर दावा पेश किया गया है। स्पष्ट है वादिया क्लीन हैण्ड से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं हुए है।

उक्त विवेचन के आधार पर न्यायहित में वाद वादिया विधि द्वारा वर्जित होने से काबिले खारीज है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत 07 R 11 CPC स्वीकार कर वाद इसी स्तर पर खारीज किया जाता है। निर्णय खास खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

उम्मेद सिंह रतनू
(R.A.S)
सहायक कलक्टर एवं
कार्यापालक दण्डनायक
(फास्ट ट्रेक) श्रीगंगानगर

Scanned by CamScanner